

राजस्थान सरकार
निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राज0, जयपुर

डॉ राधाकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा बोर्ड भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर, राजस्थान.

dirminority@gmail.com

दूरभाष न.: 0141-2711938, 2711978

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/16504

दिनांक :- 26-12-19

आदेश


निदेशालय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांक 5229 दिनांक 02.07.19 के क्रम में साक्षात्कार कमेटी के द्वारा अभिशिषित पैनल का सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया। पैनल में से चयनित अभ्यर्थियों को उनके पैतृक विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशासनिक विभाग के निर्देशानुसार निम्नांकित कार्मिकों को उनके नाम के समक्ष अंकित जिलों/कार्यालयों में कार्यक्रम अधिकारी के पद पर निम्नानुसार प्रतिनियुक्त/पदस्थापित किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापित स्थान
1	श्री राज कुमार चरनाल	प्राध्यापक-भूगोल, रा.उ.मा.वि., उखलिया-हुरडा, भीलवाडा	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, चित्तौडगढ
2	श्री कुम्भा राम चौधरी	प्रधानाध्यापक-(वरिष्ठ अध्यापक), रा.उ.प्रा.वि., देवानियों की ढाणी शिवकर, बाडमेर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पाली
3	श्री प्रदीप सिंह भार्गव	प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., नान्दडा, कोलायत, बीकानेर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बीकानेर
4	श्री विनोद कुमार	वरिष्ठ अध्यापक, राआउमावि, बदनगढ प.स. डीग, जिला-भरतपुर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, भरतपुर
5	श्री हसन आरिफ जैदी	वरिष्ठ अध्यापक, रामावि, तालरिया, जैसलमेर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, श्रीगंगानगर
6	श्री फहीम अहमद	वरिष्ठ अध्यापक, राआउमावि, कालेसरिया, प.स. देवगढ जिला राजसमंद	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, करौली
7	श्री मोहम्मद अयूब खान	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, राउमावि, रघुनाथगढ, जिला सीकर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सीकर
8	श्री अमीन खान	प्रबोधक, राप्रावि, बांगली, ग्राम पंचायत पादरिया पंचायत समिति रामसर, बाडमेर	कार्यक्रम अधिकारी, कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बाडमेर

प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन की शर्तें निम्नानुसार प्रभावी रहेगी :-


- वर्तमान में कार्यरत समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिकों की सेवावधि समाप्त होने पर क्र.सं. 01 से 08 पर वर्णित कार्मिक (क्र.सं. 03 के अतिरिक्त) दिनांक 13.01.2020 को कार्यग्रहण करेंगे।
- वर्तमान में कार्यरत समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की सेवावधि दिनांक 04.01.2020 को समाप्त होने पर क्र.सं. 03 पर अंकित कार्मिक दिनांक 05.01.2020 को कार्यग्रहण करेंगे।
- प्रतिनियुक्ति आदेश सामान्य रूप से 01 वर्ष अथवा विभाग में नियमित अधिकारी के पदस्थापन की तिथि (जो भी पहले हो) तक मान्य रहेगा।

4. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के कार्य की समीक्षा 01 वर्ष की अवधि के उपरांत ही प्रतिनियुक्ति सेवा अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
5. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारी की सेवा शर्तें राज्य सरकार के प्रचलित नियमों एवं शर्तों के अनुसार प्रभावी रहेंगी।


(कैलाश बैरवा)
निदेशक

क्रमांक: एफ4(36)संस्थापन/असमावि/जिअसकअ/पार्ट-II/2018/ 16505-16541 दिनांक :- 26-12-19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, कार्यालय हाजा।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।
5. जिला कलक्टर
6. संयुक्त शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक कार्यालय हाजा।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय
9. संबंधित मुख्य/ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी
10. संबंधित जिला परियोजना समन्वयक/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर कार्यग्रहण हेतु तत्काल कार्यमुक्त करावें।
11. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
12. संबंधित अधिकारीगण
13. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा।
14. रक्षित पत्रावली, कार्यालय हाजा।


(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त निदेशक